न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), राम सनेहीघाट, कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।
मूलवाद संख्या-   /2023
CNR No. UPBB180002702023
श्रीमती राजरानी
बनाम
अधिशाषी अभियन्ता जल निगम जनपद बाराबंकी

18.07.2023

1. प्रार्थना-पत्र ग-6 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र ग-7 पर वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना गया।

2. वादिनी ने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि वादिनी भूमि गाटा संख्या 484 मि० रकबा 0.190 हे० स्थित ग्राम नियामतपुर, परगना रूदौली तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी की संक्रमणीय भूमिधर हैं तथा निरंतर काबिज व दखील चली आ रही है। विवादित भूमि को लाल रंग की रेखाओं से घेरकर अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 एवं उनके सहयोगी व ठेकेदार दिनांक 14.07.2023 को विवादित भूमि पर जे०सी०बी० मशीन लेकर आ गये और खोदखाद करने लगे, जिस पर वादिनी एवं उसके परिवार वालों के द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादीगण एवं उनके सहयोगियों ने खुलेआम धमकी दी है कि जल्द से जल्द वे वादिनी की भूमि पर जबरिया कब्जा करके उस पर अवैध रूप से पानी टंकी का निर्माण प्रारंभ करवाकर वादिनी को उसकी भूमि से बेदखल कर देंगे।

3. वादिनी ने अपने कथन के समर्थन में उद्धरण खतौनी, सी० एच० 41 की सत्यप्रतिलिपि, सी०एच० 45 की सत्यप्रतिलिपि, नक्शे की सत्यप्रतिलिपि दाखिल किए हैं। याचना सरकार के विरूद्ध भी चाही गयी है। वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा दाखिल दस्तावेज के अवलोकन से इस स्तर पर बिना प्रतिवादीगण को सुने एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने का आधार पर्याप्त नहीं है।

4. अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादिनी वांछित पैरवी अन्दर तीन दिन करे। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र ग-6 दिनांक 18.09.2023 को पेश हो।

(सबा फातिमा)
सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।

18.07.2023

प्रार्थना-पत्र ग-12 वास्ते जारी करने कमीशन जरिए अमीन पर सुना। न्यायहित में स्वीकृत। वादिनी पैरवी करे। बाद पैरवी अमीन को रिट जारी हो। अमीन पक्षकारों को सूचित कर मौके का निरीक्षण करे और अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि तक न्यायालय में दाखिल करे।

(सबा फातिमा)
सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।